



आज्ञादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय नगर पालिका परिषद बिलग्राम जनपद - हरदोई

संख्या / १५२४ / न०पा०परिबि० / 15१५वि०आ० / नि०स० / 22-23

दिनांक- ०५-११ - २०२२

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

ई-टेंडरिंग के अन्तर्गत जनपद हरदोई के न०पा०परि०विलगप्रम में ठेकेदारों/फर्मों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021-22 में 15वें वित्त आयोग की प्रथम किश्त के अन्तर्गत बुनियादी अनुदान (Untied Grant) की धनराशि से कार्य विवरण सूची में अंकित निर्माण कार्य हेतु ई-टेंडर निविदा निम्न विवरण के अनुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा मूल्य पी०एन०बी० के खाता संख्या 4105002100000139 आई०एफ०एस०सी० कोड PUNB0410500 में आर०टी०जी०एस० या नगद जमा किया जाये। आर०टी०जी०एस०/नगद निविदा मूल्य न जमा करने पर निविदा निरस्त समझी जायेगी।

करने पर निविदा निरस्त समझी जायेगी।		
(A)	ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से निविदा प्रकाशन तिथि	०६-०९-२०२२ ११:०० AM
(B)	वेबसाइट पर आनलाइन निविदा डाउनलोड कि तिथि	०६-०९-२०२२ ११:०० AM
(C)	ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से निविदा डालने की तिथि व समय	२६-०९-२०२२ ५:०० PM
(D)	ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय	२७-०९-२०२२ २:०० PM
(E)	ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से वित्तीय निविदा खोलने की तिथि व समय	तकनीकी निविदा के मूल्यांकन के पश्चात निर्धारित की जायेगी।
(F)	ई-निविदा खोलने का स्थान	अपर जिला मजिस्ट्रेट / प्रभारी अधिकारी (स्थानी) एवं कार्यालय न०पाठ०परिं बिलग्राम

कार्य विवरण निम्नवतः—

कार्य विवरण निम्नवतः—						कार्य की अवधि
क्रमसंख्या	कार्य का नाम	आगणन धनराशि	धरोहर धनराशि (5 प्रतिशत)	निविदा मूल्य + 18%जीएसटी० सहित		
1	2	3	4	5	6	
१	२	३	४	५	६	७

15वाँ वित्त आयोग अनटाइड ग्रांट की प्रथम किश्त के अन्तर्गत वर्ष 2021-22

1	वार्ड सं 25 मो० सुल्हाडा में हुजूर मियां के प्लाट से हनुमंत्र नेत्र चिकित्सालय तक रोड के बायी ओर आर०सी०सी० नाली वं कवर डालने का कार्य।	878405=00	43,920=00	1060=00	01 माह
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	---------	--------

नाली व कवर डालने का काय। कृपया अवलोकन कर प्रकाशन हेतु समाचार पत्र एवं तिथि निर्धारित कर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें। शेष नियम व शर्तें www.etender.up.nic.in पर देखी जा सकती हैं। 

७३/१२

(मुकेश कुमार निर्गम) 31/9/2022
आशीर्वादासी आस्थिकिक्षीरी
नक्कार प्रालिकाज परिस्थिति
सिलपाम हरदोहु

Habib

संख्या एवं दिनोंक तदैव।

प्रतिलिपि-1. जिला मजिस्ट्रेट महोदय हरदोई।

2. सम्पादक ~~सिन्हासन आश्रम अखण्डन समाचार~~ पत्र को इस आशय से प्रेषित कि न्यूनतम आकार में शोरीकीय विज्ञापन दर पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।

3. उप जिलाधिकारी महोदय, विलग्राम।

4. पालिका के नोटिस बोर्ड एवं गार्ड फाइल पर चस्पा हेतु।

नियम व शर्ते—

1. विस्तृत जानकारी कार्यालय दिवस में कार्यालय नगर पालिका परिषद विलग्राम हरदोई में श्री रूपेश खन्ना लिपिक एवं श्री सिद्धार्थ प्रभाकर अवर अभियन्ता न०पा०परि० विलग्राम हरदोई से प्राप्त की जा सकती है तथा फर्म/ठेकेदार निविदा अपलोड करने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारियों के साथ कार्य रथल का निरीक्षण कर राकते हैं।
2. आगणन से 15 प्रतिशत से अधिक दर की निविदा को रखतः निरस्त माना जायेगा तथा आगणन से 10 प्रतिशत कम की निविदा हेतु अतिरिक्त जमानत धनराशि 0.5 प्रतिशत एवं 10 से 15 प्रतिशत कम की निविदा हेतु अतिरिक्त जमानत धनराशि 1 प्रतिशत परफारमेंस गारंटी के रूप में निविदा के साथ जगा करना अनिवार्य होगा।
3. भुगतान कार्य की गुणवत्ता के परीक्षण के उपरान्त सन्तोषजनक पाये जाने पर बजट उपलब्धता न होने तक ठेकेदार/फर्म की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी, तथा नियमानुसार आयकर/जी०एस०टी० आदि सभी करों की कटौती करके भुगतान किया जायेगा। शासन द्वारा उपयोगिता अवधि प्राप्त होने पर भुगतान पर विचार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त धनराशि राठवी०आ०/नगर निधि से उपलब्धता के आधार पर की जायेगी।
4. निविदा के साथ 5 प्रतिशत धरोहर धनराशि एवं निविदा मूल्य नगर पालिका परिषद विलग्राम की बैंक पी०एन०वी० खाता खं 4105002100000139 आई०एफ०एस०सी कोड PUNB04105000 में ऑन लाइन आदि माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। जिसकी रसीद कार्यालय नगर पालिका परिषद विलग्राम से प्राप्त की जायेगी।
5. अन्तिम भुगतान से 05 वर्ष बाद कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर, जमा कुल जमानत धनराशि वापस की जायेगी तथा पाँच वर्ष तक सङ्कों के रख-रखाव की जिम्मेदारी सफलता प्राप्त फर्म/ठेकेदार की होगी।
6. टेण्डर दाताओं को टेण्डर के समय निम्न प्रपत्र ई टेण्डर में अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा हार्ड कापी में भी समस्त अभिलेख कार्यालय को प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
 - A. पंजीकरण प्रमाण पत्र।
 - B. 5 प्रतिशत धरोहर धनराशि जमा का प्रपत्र।
 - C. चरित्र प्रमाण पत्र।
 - D. हैसियत प्रमाण पत्र।
 - E. टी-६ टी-५ टी-४
 - F. मशीनरी उपलब्धता, टेक्निकल स्टाफ एवं निकाय में किसी सगे सम्बन्धी या परिवार के किसी व्यक्ति के कार्य न करने का नोटरी कराकर शपथ पत्र।
 - G. आयकर विभाग का वार्षिक कलीयरेंश प्रमाण पत्र।
 - H. अनुभव प्रमाण पत्र।
 - I. श्रम विभाग का पंजीकरण।
 - J. जी०एस०टी० प्रमाण पत्र वर्तमान में सक्रिय।

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि यदि किसी फर्म/ठेकेदार का पंजीकरण नगर पालिका के अन्तर्भृत नहीं है, तो उसे नगर पालिका में निविदा सफलता के पश्चात पंजीकरण शर्तों के अधीन 10 दिन के अन्दर नगर विकास से निर्गत शासनादेश के क्रम में कराना अनिवार्य होगा साथ ही शासन/निदेशक उत्तर प्रदेश शासन से निर्गत शासनादेशों/निदेशक के पत्र सं० तक०सेल/०७/निदेश/२०१९ दिनांक 28 जून 2019 के अनुकूल कार्य विभिन्न श्रेणियों के अधीन कार्य प्राप्त किये जा सकते हैं। उस श्रेणी के अतिरिक्त यदि निविदा डाली जाती है तो स्वतः निरस्त मानी जायेगी, एवं ऐसे ठेकेदार/फर्म को कार्य स्वीकृत किया जाता है जिसका पंजीयन निकाय में नहीं है तो शासनादेश सं० 3890/नौ-५-१९-१४९सा/२०१९ दिनांक 20 सितम्बर 2019 के क्रम में ई-निविदा में सफलता प्राप्त करने के पश्चात निकाय में पंजीकरण शर्तों के अधीन कराना अनिवार्य होगा। उपरोक्त शासनादेश www.etender.up.nic.in पर अपलोड है।
7. स्वीकृत फर्म को कार्य से पूर्व कार्य रथल की, कार्य के दौरान, कार्य के अंत में फोटोग्राफ, कार्यालय लिपिक या सम्बन्धित अवर अभियन्ता के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
8. स्वीकृत फर्म/ठेकेदार का दायित्व होगा कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश के अनुरूप प्रत्येक कार्य का अनुबन्धनामा एवं नोटरी शपथ पत्र एवं समस्त आवश्यक वैधानिक कार्यवाहियों एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कराकर कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य है।
9. टेण्डर तकनीकी अधिकारी की देख रेख में खोले जायेंगे, एवं टेण्डरों का परीक्षण भी तकनीकी अधिकारी के माध्यम से किया जायेगा, तकनीकी अधिकारी की लिखित संतुष्टता के उपरान्त ही वित्तीय बिड खोली जायेगी। यदि भविष्य में कोई चूक पायी जाती है, तो उसके लिए तकनीकी अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार होंगे।
10. सफलता प्राप्त फर्म को कार्य प्रारम्भ से पूर्व कार्यरथल पर 1X1.5 मीटर का डिस्प्लेबोर्ड लगाना अनिवार्य होगा जिस पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
11. निविदा खुलने के समय ठेकेदार/फर्म अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी फर्म द्वारा कार्य किया जाता है तो पावर ऑफ अटार्नी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. एकल/सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी साथ ही स्वीकृत फर्म/ठेकेदार द्वारा कार्य स्वीकृत के पश्चात यदि कार्य हस्तांतरित किये जाने की सूचना किसी भी स्रोत से प्राप्त होती है तो सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही, काला सूची में डाला जाने हेतु समरत विभागों में किये जाने हेतु संसूचित किया जायेगा। पारदर्शिता प्रतियोगिता की दृष्टि से न्यूनतम 03 निविदायें प्राप्त होनी अनिवार्य होगी। अन्यथा की स्थिति में टेण्डर निरस्त किया जायेगा।
13. टेण्डर फार्म पर टेण्डर रेट (दरें) कम या अधिक प्रतिशत आधार पर स्पष्ट अंकित होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार की कटिंग/ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी।
14. कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण न करने पर नियमानुसार आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा, जिस पर कटौती ठेकेदार के बिल से अथवा जमा धनराशि से की जायेंगी यह दण्ड दो सप्ताह तक अधिकतम रु 500.00 प्रतिदिन हो सकता है दो सप्ताह पश्चात कार्य की निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी तथा बन्धित फर्म के विरुद्ध शासकीय कार्य में जानबूझ कर

- व्यवधान, शिथिलता/उदासीनता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध सम्बन्धित पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जायेगी।
15. ठेकेदार को नामित अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता (सिविल)/अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक सी०एण्ड०डी०एस० जनपद हरदोई के तकनीकी मार्गदर्शन में निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त कार्य में प्रयुक्त इंटरलाकिंग, अन्य प्रयुक्त सामग्री का सैम्पुल परीक्षण कराने के पश्चात कार्य का अन्तिम भुगतान किया जायेगा।
 16. शासनादेश संख्या :— 609 /नौ-9-2007-249ज /06 दिनांक 26/02/2007 के अनुसार राज्य बार कौसिल में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी में प्रतिभाग करने का अधिकार न होगा।
 17. बिना कारण बताएं एक टेण्डर या सभी टेण्डरों को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा। नगर पालिका निर्माण नियमावली/लोक निर्माण विभाग की नियमावली, नगर विकास विभाग द्वारा निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का पालन ठेकेदार/फर्म आदि को मानना अनिवार्य होगा।
 18. राज्य मिशन निदेशक (एस०बी०एस०) राज्य मिशन निदेशालय उ०प्र०/सालिड वेस्ट मैनेजमेण्ट रूल्स 2016 की समस्त शर्तें ठेकेदार/फर्म को मान्य करना अनिवार्य होगा तथा एम०आर०एफ० का निर्माण शासनादेश सं० पी.एम.यू./2561/427(6) 2019 लखनऊ दिनांक:-13.08.2019 में दिये गये मानकीकृत ड्राइंग व डिजाइन के अनुसार कराया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी विस्तृत जानकारी निकाय के अवर अभियन्ता व सी०एण्ड०डी०एस० के अभियंता के मागदर्शन व दिशा-निर्देशों अनुसार कराना अनिवार्य होगा। मानकीकृत ड्राइंग/डिजाइन के विचलन होने पर भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा।
 19. शासनादेश संख्या 1319 /नौ-9-21-45ज /21 दिनांक 30 जून 2021 (SOP) में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप ठेकेदार/फर्म को कार्य कराया जाना अनिवार्य होगा। मागदर्शन व दिशा-निर्देशों अनुसार कार्य न होने पर भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा।

४/९/२२
 (रूपेश खन्ना)
 वरिष्ठ लिपिक
 नगर पालिका परिषद
 बिलग्राम - हरदोई

(मुकेश कुमार निगम) ३/९/२०२२
 अओधिशासी अभियंता
 नगर पालिका खासिक्षेत्र
 बिलग्राम - हरदोई

(हबीब अहमद)
 अध्यक्ष
 नगर पालिका परिषद
 बिलग्राम - हरदोई